संख्याःबी–1–2387/दस–2011–14(IV)/2011

प्रेषक,

डा.बी.एम.जोशी,
सचिव,वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 07 अक्टूबर, 2011

विषय :उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 के अनुसार कार्यवाही के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में यह अवगत करना है कि बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में राजकोषीय स्थायित्व और संपोषतीयता सुनिश्चित करने और पर्याप्त राजस्व अधिशेष की प्राप्ति करके राजकोषीय घाटे में कमी लाकर और राजकोषीय नीति के प्रभावी संचालन में आने वाली अड़चनों को दूर करने और राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले उधारों,सरकारी प्रत्याभूतियों, ऋणों और घाटों पर सीमा निर्धारण और मध्यकालिक राजकोषीय रुपरेखा के प्रयोग में महत्तर पारदर्शिता के माध्यम से विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्ध द्वारा भौतिक अवसंरचना के सुधार और मानव विकास के अवसर में वृद्वि करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के उत्तरदायित्व की व्यवस्था करने के लिये उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2004 अधिनियमित किया गया है ।

2– तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अधिनियम, 2011 (छायाप्रति संलग्न) तथा उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा मूल अधिनियम, 2004 की धारा–3, 4 तथा 6 में कतिपय सशोधन किये गये हैं जिसमें मध्यकालिक राजकोषीय पुनः संरचना नीति को अपेक्षाकृत अधिक व्यापक बनाने तथा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और ऋण स्टाक के वर्षवार स्तरों को विनिर्दिष्ट करते हुए वर्ष 2011–12 से वर्ष 2014–15 तक की अवधि हेतु राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पथ विहित किया गया है । उक्त अधिनियम वित्त विभाग के वेबसाइट http://finance.up.nic.in में government order में उपलब्ध हैं ।

इस सम्बन्ध में मुझसे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने विभाग में उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम ,2004 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार राजकोषीय वित्तीय प्रबंधन नीतियों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करानें का कष्ट करें ताकि सम्यक रुप से उक्त अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हों सकें ।

संलग्नक–यथोक्त ।

भवदीय,

(बी.एम. जोशी)
सचिव, वित्त ।

---2

संख्या : बी–1–2987 (1)/दस–2011–14(IV)/2011 तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि समस्त व्यय नियंत्रण अधिकारियों/व्यय नियंत्रण अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

(लहरी यादव)
बजट अधिकारी एवं
विशेष सचिव, वित्त ।